न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

श्री शिवनाथ सिंह पुत्र किशनसिंह राठौड निवासी गुलाबपुरा, जिला जिला भीलवाडा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 08/**2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27–03–2025	**–: निर्णय :–** 1. पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 29–12–2024 में वर्णित सूचनाओं के लिए एक आवेदन जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जो अन्तरण होकर लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा** रेस्पोडेंट को भिजवाया गया। रेस्पोडेण्ट के द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी को वांछित सूचना समय पर उपलब्ध नहीं होने से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील 19–02–2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा** ने जरिये पत्रांक 438 दिनांकित 11–03–2025 से इस न्यायालय को अवगत कराया गया कि अपीलार्थी को अपेक्षीत सूचनायें उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है। अपीलार्थी वक्त सूचनाई अनुपस्थित रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह अवधारित माना जाता है कि प्रार्थी अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त सूचना से संतुष्ट है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 27–03–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (जसमीत सिंह संधू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)